

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 15.07.2019

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/
शासन सचिव।

विषय:— एक वर्ष से अधिक जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक विभागों के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि एक वर्ष से अधिक जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में हुई प्रगति आशानुरूप नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट में आपके विभाग (जिसमें विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक विभाग के स्तर के उक्त रूप से लम्बित न्यायिक प्रकरण शामिल हैं) से सम्बन्धित सूचना इन्द्राज कर इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

शासन संयुक्त सचिव
ok.
E

